

प्रेषक,
एस०एन० शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश सरकार।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनु०-२

लखनऊ: दिनांक: ३० दिसम्बर, 2016

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली,
2015 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को मौंगी गयी वाहित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जानी है। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जन सूचना अधिकारियों द्वारा सामान्यतः अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपीलों/शिकायतों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग के अन्तर्गत स्थित समस्त लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित विन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आर०टी०आई० रजिस्टर, (उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के अन्तर्गत प्रारूप-३) होना अनिवार्य है।

(2) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता व दूरभाष सं० की पट्टिका लगी होना अनिवार्य है।

-- 2/-

56
ADM/F/R
कृष्ण नियमावली विभाग
आधिकारी का

सूचना नहीं प्रदान की जाती है या अतिरिक्त शुल्क की मॉग नहीं की जाती है तब अधिनियम की धारा-7(6) के तहत मौगी गयी वांछित सूचना आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। अतः जन सूचना अधिकारी का यह प्रमुख दायित्व है कि आवेदक को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई जाये अन्यथा निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने की दशा में राजस्व की हानि होगी तथा इसके लिये जन सूचना अधिकारी दोषी होंगे।

(11) तृतीय पक्ष (Third Party) से सम्बन्धित सूचनाएँ हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करें।

(12) सूचना का अधिकारे अधिनियम, 2005 की धारा— 8, 9 व 24 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 4(2) के तहत ही सूचना देने से मना किया जा सकता है अन्यथा समस्त सूचना देय है।

(13) सूचना प्रारूप-5 में देय होंगी और यदि आवेदन की अस्वीकृति होती है तो वह प्रारूप-7 पर होंगी और जन सूचना अधिकारी यह स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा अधिनियम की किस धारा या नियमावली के किस नियम के तहत व किस कारण से आवेदन को अस्वीकृति किया गया है।

(14) उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में आवेदकों/जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हेतु विभिन्न प्रारूप निर्धारित किये गये हैं जिससे पूरे प्रदेश में प्रक्रियात्मक एकरूपता बनी रहे। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उस आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(15) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करे और अपने द्वारा पारित किये गये आदेश का अनुपालन करायें।

भवदीय,

(एस० एन० शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, आर0टी0आई0 खंडन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डॉ नन्द लाल)
संयुक्त सचिव।